न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–1/2018
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. मेजर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन 3 एमएमके नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हरगोविन्द सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख साकिन 3 एमएमके नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हरबंस कौर पत्नी मिठू सिंह
2. सरजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह
3. महेन्द्र कौर पत्नी जग्गा सिंह
4. परमजीत कौर पत्नी मुख्त्यार सिंह
5. नसीब कौर पत्नी जग्गा सिंह
6. जसपाल कौर पत्नी बिकर सिंह उर्फ विक्रम सिंह
7. अंग्रेज कौर पत्नी बाबू सिंह
8. शरनजीत कौर पत्नी गुरमुख सिंह
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

समस्त जाति जटसिख निवासीगण 3 एमएमके तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय साहेवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री हनुमन्त सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 8
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया अप्रार्थी संख्या 9

निर्णय **दिनांकः– 29.07.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया कि प्रार्थीगण आपस में पिता पुत्र है तथा संयुक्त रूप से कृषि भूमि को काश्त करते है। प्रार्थी सं. 1 अतिवृद्व (70 साल) उम्र का व्यक्ति है। जो अपने पुत्र प्रार्थी सं. 2 के साथ रहता है। प्रार्थीगण का जीवनयापन कृषि भूमि की जोत से प्राप्त आय से ही होता है। प्रार्थीगण के जीवनयापन का अन्य कोई साधन नहीं है। एक मात्र कृषि से उत्पन्न आय ही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 डीएलपी में अवस्थित है तथा राजस्व अभिलेख में चक 3 डीएलपी के खाता सं.96/50 व खाता सं. 70/50 में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का एक भू–भाग चक 3 डीएलपी के प.न.161/192 के मु.न. 13 के किला नं. 3,8,13,18,23 में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काश्त करके जीवनयापन करते है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के साथ चिपती कृषि भूमि चक 3 डीएलपी के खाता सं. 2/17 में अवस्थित है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि का विवरण :– चक 3 डीएलपी के खाता सं. 2/17 प.न. 161/192 मु.न.13 किला नं.2/0.228 है.+0.025 है. गै.मु.खाला 20,21,/0.253 है.प्र.(कुल 0.506 है.) प.न.161/193 मु.न.16 किला नं. 1,10/0.253 है.प्र.(

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर चक 9 एनकेआर के पं.नं. 131/155 मु.नं. 40 के किला नं. 20 व 21 में उतर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर इसी चक के खाता संख्या 42/27 में नायब सिह पुत्र गुरमुख सिह का 0.025 है. हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया। तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 6 दिनांक 04.01.2019 द्वारा चक 9 एनकेआर पं.नं. 131/155 मुरब्बा नं. 40 किला नं. 20 व 21 में उतर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ–साथ 1–1 बिस्वा यानि 8¼ X 330 फीट 2722.5 वर्ग फीट (0.025 है.) डीएलसी का 2 गुणा 40.000/– रूपये जमा कराने की शर्त पर रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में अकित तथ्यो को दोराते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का विरोध न कर अपनी सहमति व्यक्ति की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एनकेआर के पं. नं. 131/155 के मु.नं. 40 के किला नं. 20 व 21 में उतर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ–साथ 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा यानि 0.025 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव इसके बदले में इसी चक के खाता संख्या 42/27 खाता जसविन्द्र सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में नायब सिह पुत्र गुरमुख सिह का 0.025 है. हिस्सा कम किया जाकर सांझाखता में आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें व उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी 1 को दी गई आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज की जावें। जवाब प्रार्थना पत्र निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,संगरिया